आबिद

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं. 785/2004 और अन्य)

7 जुलाई, 2009

[वी. एस. सिरपुरकर और आर. एम. लोधा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 सपठित धारा 149 और धारा 149 - आरोपियों द्वारा हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला - पीडितों की घटनास्थल पर मृत्यु - करीबी रिश्तेदारों ने देखी घटना - धारा 302/149 और धारा 149 के तहत अधीनस्थ अदालतों द्वारा दोषसिद्धि - हस्तक्षेप - अभियुक्तगण ने गैरकानूनी सभा का गठन किया और हत्या का सामान्य उद्देश्य साझा किया - वे घातक हथियारों से लैस थे और बड़ी संख्या में चोटें पहुंचाई - अभियुक्तगण हमलावर पक्ष थे - घटना के समय पीडित निहत्थे थे - अभियुक्तगण को निजी बचाव की दलील उपलब्ध नहीं - चश्मदीद गवाहों और नजदीकी रिश्तेदार की साक्ष्य विश्वास योग्य - प्रत्येक अभियुक्त को विशिष्ट चोटें निर्दिष्ट करने में विफलता घातक नहीं - अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, डी 1 और डी 2 ने जी से फसलों के साथ कुछ कृषि भूमि खरीदी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, उन्होंने पाया कि ए1 से ए7 उनकी जमीन से फसल काट रहे हैं, पूछने पर ए1 और ए2 ने जवाब

दिया कि उन्होंने उक्त जमीन 'जी' से खरीदी है। इसके बाद ए1 से ए6 ने बल्लम, गंडासा और लाठी से लैस होकर डी1 और डी2 को घातक चोटें पहुंचाई। डी1 का बेटा-पी.डब्ल्यु. 1 और उसका भतीजा-पी.डब्ल्यू. 2 घटनास्थल पर आये। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और धारा 149 में भी सजा सुनाई तथा नौ महीने का सश्रम कारावास दिया गया। अपील के लंबित रहने के दौरान ए6 और ए7 की मृत्यु हो गयी उच्च न्यायालय ने ए1 से ए5 की दोषसिद्धि बरकरार रखी। इसलिए अपील प्रस्तुत हुई।

अदालत ने अपीलों को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया - 1.1 पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के साथ-साथ पी.डब्ल्यु. 3 और पी.डब्ल्यु. 5 के साक्ष्य के आधार पर किसी भी तरह का संदेह नहीं रह जाता है कि डी-1 और डी-2 की मौत मानव वध थी। घातक हथियार जिनसे अपीलकर्ता लैस थे तथा डी-1 और डी-2 को लगी चोटों की अत्यधिक संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपीलकर्ताओं का हत्या करने का सामान्य उद्देश्य था। यह बात पूरी तरह से स्थापित है कि आरोपी व्यक्ति पांच से अधिक थे और उन्होंने गैरकानूनी जमाव बनाया था। डी-1 और डी-2 की मौके पर ही मौत हो गयी। भा.द.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 के तहत आरोपी की सजा किसी भी कानूनी दोष से ग्रस्त नहीं है। (पैरा 15 और 26) (311-ई, 337-ई-एफ)

1.2. PW-1 और PW-2 का D-1 और D से गहरा संबंध है- 2. पीडब्लू-1 ने घटना के संबंध में साक्ष्य दी, उनसे विस्तृत जिरह की गई और कुछ सूक्ष्म विरोधाभासों को छोड़कर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी गवाही को अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त हो। डी-1 और डी-2 को हमले से बचाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ई वहां मौजूद नहीं था। उसकी उपस्थिति घटनास्थल से कुछ कदम दूर होना बिल्कुल भी अप्राकृतिक नहीं लगता। घटना के बारे में पीडब्लू-2 ने भी गवाही दी। पीडब्लू-2 जिरह में बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ है। यह सच है कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 डी-1 और डी-2 से संबंधित हैं लेकिन वे असली दोषियों को छूटने नहीं देंगे। यह युक्तियुक्त नहीं लगता है कि उन्होंने वास्तविक हमलावरों को बख्श दिया होगा और आरोपी अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया होगा। जब घातक हथियारों से लैस सात व्यक्तियों ने डी-1 और डी-2 पर हमला किया, तो पीडब्लू-1 या पीडब्लू-2 के लिए यह बताना संभव नहीं होगा कि कौनसी विशिष्ट चोट किस अभियुक्त ने मारी। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की। [पैरा 16, 17, 18, 19 और 20] [331-ई-एफ; 332-ए-ई-एफ-जी; 333-डी]

अन्ना रेड्डी सांबशिव रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जे. टी. 2009 (5) एस. सी. 617, संदर्भित।

1.3. निजी बचाव की दलील स्थापित करना अभियुक्त का उत्तरदायित्व है। निजी बचाव की दलील को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करना आवश्यक नहीं है। न्यायालय को संभावनाओं की जांच करने की आवश्यकता है। फिर भी, आरोपी को अपने द्वारा स्थापित बचाव की संभावना बनानी होगी। मौजूदा मामले में, अभियुक्त निजी बचाव के अधिकार को स्थापित करने में पूर्णत: विफल रहा है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति हमलावर थे। डी-1 और डी-2 तब निहत्थे थे जब उन्होंने आरोपी व्यक्तियों से पूछा कि उन्होंने खड़ी फसल क्यों काटी है। यह मानते हुए कि आरोपी व्यक्तियों ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा जी से कृषि भूमि खरीदी और वे कब्जे में थे लेकिन उनके पास डी-1 और डी-2 पर बल्लम, गंडासा व लाठी जैसे घातक हथियारों से हमला करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं था, भले ही डी1 और डी2 ने उनसे फसल काटने के बारे में पूछताछ की हो। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निजी बचाव के किसी भी अधिकार के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डी-1 और डी-2 ने न तो आरोपी को व्यक्तिगत रूप से और न ही उसकी संपत्ति को संकट में डाला। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ

उच्च न्यायालय ने निजी बचाव की याचिका स्वीकार न करके कोई त्रुटि कारित नहीं की है। [पैरा 24 और 25] [336-जी-एच; 337-ए-एफ]

राजिंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1995 (5) एससीसी 187; ए. सी. गंगाधर बनाम कर्नाटक राज्य 1998 एससीसी (सीआरआई) 1477, संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

JT 2009 (5) SC 617	संदर्भित	पैरा 19
1995 (5) sec 187	संदर्भित	पैरा 22
1998 SCC (Cri) 1477	संदर्भित	पैरा 23
JT 2009 (5) SC 617	संदर्भित	पैरा 19

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 785/2004

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ की 1982 की आपराधिक अपील संख्या 488 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.10.2003 से।

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 786/2004

अपीलकर्ता की ओर से शकील अहमद सैयद।

प्रतिवादियों की ओर से प्रशांत चौधरी, भरत राम और प्रवीण स्वरूप।

न्यायालय का निर्णय आर.एम. लोढ़ा, जे. के द्वारा सुनाया गया

1. विशेष अनुमति द्वारा ये दो अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक ही फैसले से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील खारिज कर दी गई थी।

2. सात व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 147 और 302 सपठित 149 आईपीसी के तहत प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बहराईच के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा गया। ट्रायल कोर्ट ने उन सभी को आईपीसी की धारा 302 सपठित 149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया और उन्हें नौ महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

3. अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है:

घीसी, छोटे और तोजे भाई हैं। वे ग्राम बहबोलिया, थाना सोनवा, जिला बहराईच के रहने वाले थे। तीनों भाइयों ने एक श्रीमती प्राण से लगभग 15 बीघे कृषि भूमि प्राप्त की। उन्होंने उक्त जमीन को पांच-पांच बीघे के हिस्से में बांट लिया है और अपने-अपने हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सत्तार खान (मृतक 'डी-1' के रूप में संदर्भित) और साबिर खान (मृतक 'डी-2' के रूप में संदर्भित)

ने दावा किया कि उन्होंने घीसे से जनवरी, 1980 में कृषि भूमि में उस पर बोई गई फसलों सहित अपना हिस्सा खरीदा था। 21 मार्च, 1980 को सुबह लगभग 8 बजे, डी-1 और डी-2 ने उक्त कृषि भूमि का दौरा किया और पाया कि अग्गी (ए-1), जैजै (ए-2), लाखन पासी (ए-3), आबिद(ए-4), मकसूद(ए-5), खलील (ए-6) और गुलाम (ए-7) उस जमीन से अरहर की फसल काट रहे थे। डी-1 और डी-2 ने उनसे पूछा कि वे फसल क्यों काट रहे हैं। ए-1 और ए-2 ने उत्तर दिया कि उन्होंने घीसी से कृषि भूमि खरीदी थी और उस भूमि के मालिक होने के नाते, वे फसल काटने के हकदार थे। फिर A-1 और A-5 ने 'बल्लम' से लैस होकर, A-3 और A-7 ने 'गड़ासा' से लैस होकर और A-2, A-4 और A-6 ने 'लाठी' से लैस होकर D-1 और D-2 हथियारों से पर हमला करना शुरू कर दिया। डी-1 और डी-2 ने अलार्म बजा दिया। पीर मोहम्मद खान (पीडब्लू-1) और मकसूद खान (पीडब्लू-2) जो घटनास्थल से कुछ कदम की दूरी पर थे, मौके पर पहुंचे और पाया कि ए-1 से ए-7, डी-1 और डी के हमले के परिणामस्वरूप -2 को घातक चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अभियुक्त, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 को देखकर भाग गया।

4. पीडब्लू-1 तुरंत, पुलिस स्टेशन, सोनवा गया और सुबह 11.30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उप-निरीक्षक सुख सागर सिंह ने जांच शुरू की। उन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की और डी-1 और डी-2 के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉ. पी.सी. मिश्रा (पीडब्लू-3) ने 22 मार्च 1980

को डी-2 के शव का पोस्टमार्टम किया। डी-1 के शव का पोस्टमार्टम डॉ. एम. शमीम (पीडब्लू-5) ने 22 मार्च 1980 को शाम लगभग 4.30 बजे किया।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध की जांच कई बार बदली गयी। सुख सागर सिंह द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के बाद, जांच का संचालन मोहम्मद यूनुस खान ने किया। इसके बाद जांच राणा प्रताप सिंह ने की। राणा प्रताप सिंह के बाद, जांच श्योनाथ राम द्वारा की गई और उनके स्थानांतरण पर, जांच को सरजू राम (पीडब्लू -6) द्वारा आगे बढ़ाया गया। शुरुआत में धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन दोबारा जांच करने पर, सभी सात आरोपियों के खिलाफ धारा 147 और 302 सपठित 149 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

6. मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने के बाद, आरोपियों पर धारा 147 और 302 सपठित 149 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में छह गवाहों, अर्थात् पीर मोहम्मद (पीडब्लू-1), मकसूद खान (पीडब्लू-2), डॉ. पी.सी. की जांच की। मिश्रा (पीडब्लू-3), सैयद हसन जाफ़र (पीडब्लू-4), डॉ. एम. शमीम (पीडब्लू-5) और एस.ओ. सरजू राम (पीडब्लू-6)। पेश किए गए छह

गवाहों में से, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 से चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की।

8. ए-1 और ए-2 ने बचाव स्थापित किया कि जब वे अपने कृषि क्षेत्र में फसल काट रहे थे, डी-1 और डी-2 कुछ अन्य लोगों के साथ वहां आए और कटी हुई फसल को ले जाने का प्रयास किया। उनके शोर मचाने पर ग्रामीण आ गए और डी-1 और डी-2 पर हमला कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप डी-1 और डी-2 की मृत्यु हो गई। ए-1 ने यह दलील भी दी कि घीसी ने अपनी कृषि भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के पक्ष में बेच दी थी और वे क्रेता के रूप में उस भूमि के कब्जे में हैं।

9. ए-3, ए-4, ए-5, ए-6 और ए-7 ने हमले में भाग लेने से इनकार किया। उन्होंने बचाव में कहा कि उन्हें मुलयी नामक व्यक्ति के कहने पर झूठा फंसाया गया है, जिसके साथ उनके शत्रुतापूर्ण संबंध थे।

10. ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य को स्वीकार किया और माना कि अभियोजन सभी उचित संदेह से परे डी-1 और डी-2 की हत्या में आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता को स्थापित करने में सक्षम है। ट्रायल कोर्ट निजी बचाव की दलील से सहमत नहीं था।

11. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, ए-6 और ए-7 की मृत्यु हो गई और, तदनुसार, उनकी ओर से अपील निरस्त

कर दी गई। शेष अपीलकर्ताओं, ए-1 से ए-5 के संबंध में, उच्च न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कोई उचित आधार नहीं मिला।

12. डी-1 का पोस्टमार्टम डॉ. एम. शमीम (पीडब्लू-5) द्वारा किया गया था और उन्हें निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोटें मिलीं: "1. खोपड़ी के बाईं ओर 7 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी गहरा घाव (खोपड़ी) पार्श्विका से पश्चकपाल क्षेत्र।

2. चोट संख्या 1 के नीचे 5 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी गहरा 1 सेमी फटा हुआ घाव, बांए पेराइटल से ऑक्सिपिटल रीजन तक

3. बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर 6 सेमी x 2 सेमी x हड्डी गहरा घाव, बाएं कान से 6 सेमी ऊपर हड्डियों के नीचे (बाईं ओर का टेम्पोरल) टूटा हुआ था।

4. बाएं कान के 4 सेमी ऊपर बाएं टेम्पोरल क्षेत्र पर 4 सेमी x 1.5 सेमी का घर्षण।

5. दाहिने कान के 5 सेमी ऊपर दाहिने टेम्पोरल क्षेत्र पर 6 सेमी x 2 सेमी का कटा हुआ घाव।

6. दाहिने कंधे से 4 सेमी नीचे ऊपरी दाहिनी ओर 14 सेमी x 10 सेमी के सभी क्षेत्रों में कई चोटें।

7. दाहिनी कोहनी के जोड़ के पीछे घर्षण 3 सेमी x 2 सेमी।

8. निचली मध्य पीठ पर 10 सेमी x 6 सेमी के सभी क्षेत्रों में एकाधिक चोटें।

9. दाहिने घुटने के बाहरी भाग के सामने घर्षण 3 सेमी x 2 सेमी।

सिर के बाईं ओर ओसीसीपिटल पैरिटल और टेम्पोरल हड्डियों का फ्रैक्चर।"

पीडब्लू-5 के अनुसार, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में चोटें संख्या 1,2 और 3 डी-1 की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।

13. डॉ. पी.सी. मिश्रा (पीडब्लू-3) ने डी-2 के शरीर का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित मृत्यु पूर्व चोटें पाईं:

"(1) सिर के बाईं ओर बाएं कान से 7 सेमी ऊपर 9 सेमीx 2 सेमी x हड्डी गहरा कटा हुआ घाव।

(2) सिर के दाहिनी ओर दाएं कान से 8 सेमी ऊपर 6.5 सेमी x 1.5 सेमी x हड्डी गहरा फटा हुआ घाव।

(3) हड्डी के नीचे नाक के ऊपर 3 सेमी x 2 सेमी चोट।

(4) बायीं आंख-भौह के पार्श्व सिरे से शुरू होकर बायीं कनपटी पर 2.5 सेमी x 1.5 सेमी का घिसा हुआ घाव।

(5) बाएं गाल पर 8 सेमी x 5 सेमी का कटा हुआ घाव।

(6) मुंह के कोण से शुरू होकर गाल के बायीं ओर मांसपेशियों में 2 सेमी x 0.5 सेमी गहरा कटा हुआ घाव।

(7) गर्दन के बाईं ओर और बाएं कंधे और छाती के सामने के आसपास के क्षेत्र में 20 सेमी x 8 सेमी के क्षेत्र में घिसा हुआ संलयन (एकाधिक)।

(8) पीठ के बाईं ओर 40 सेमी x 14 सेमी के क्षेत्र में एकाधिक चोट।

(9) पीठ के दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र पर 24 सेमी x 10 सेमी के क्षेत्र में एकाधिक संलयन।

(10) स्कैपुला से 7 सेमी नीचे पीठ के दाहिनी ओर एकाधिक संलयन (16 सेमी x 10 सेमी क्षेत्र में)।

(11) बायीं बांह के पीछे कोहनी के जोड़ से 7 सेमी ऊपर 6 सेमी x 1.5 सेमी का घिसा हुआ घाव।

(12) कोहनी के जोड़ से शुरू करते हुए बाएं हाथ के अंदरूनी और सामने 18 सेमी x 8 सेमी का संलयन।

(13) बायीं बांह के पीछे और मध्य भाग पर 10 सेमी x 8 सेमी के क्षेत्र में एकाधिक घर्षण।

(14) बाएं हाथ की मध्यमा उंगली के समीपस्थ फालानक्स के पृष्ठ भाग पर 2 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव और नीचे की हड्डी में फ्रैक्चर।

(15) कोहनी के जोड़ से 6 सेमी ऊपर दाहिनी बांह के पीछे 5 सेमी x 7.5 सेमी का घिसा हुआ घाव।

(16) दाहिनी कोहनी के जोड़ के पीछे 1.5 सेमी x 0.5 सेमी घर्षण।

(17) कलाई से 8 सेमी ऊपर दाहिनी बांह के नीचे 2.5 सेमी x 1 सेमी हड्डी का गहरा घाव।

(18) कलाई से 5 सेमी ऊपर दाहिनी बांह के पीछे 2 सेमी x 5 सेमी घर्षण।

(19) दाहिने हाथ की छोटी उंगली के समीपस्थ फालानक्स फ्रैक्चर के साथ दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर 10 सेमी x 8 सेमी के क्षेत्र में कई घर्षण।

(20) घुटने के जोड़ से 4 सेमी ऊपर दाहिनी जांघ के सामने 28 सेमी एकाधिक घिसे हुए संलयन।

(21) दाहिने घुटने के सामने घर्षण 6 सेमी x 2 सेमी। (22) घुटने से 12 सेमी नीचे दाहिने पैर के भीतरी भाग पर 8 सेमी x 0.75 सेमी मांसपेशी गहरा कटा हुआ घाव।

(23) दो घुसे हुए घाव 1.5 सेमी, दाहिने पैर के मध्य पहलू पर मीडियल मैलेलेलस से 10 सेमी ऊपर, 1 सेमी x 0.5 सेमी हड्डी की गहराई तक स्थित हैं।

(24) चोट संख्या के ठीक नीचे दाहिने पैर के अंदरूनी और सामने 9 सेमी x 2 सेमी चोट। 23 टिबिया और फाइबुला के फ्रैक्चर के साथ।

(25) मध्यस्थ मैलेलेलस से 3 सेमी ऊपर दाहिने पैर के मध्य पहलू पर 2 सेमी x 0.75 सेमी हड्डियों का गहरा घाव।

(26) दाहिने पैर के पीछे टखने से 4 सेमी ऊपर मांसपेशियों में 3 सेमी x 0.5 सेमी गहरा कटा हुआ घाव।

(27) बाईं जांघ के बाहरी पहलू (ऊपरी भाग) पर 28 सेमी x 9 सेमी के क्षेत्र में एकाधिक चोट। (28) बाईं जांघ के निचले तीसरे भाग के बाहरी पहलू और पैर के ऊपरी भाग के निकटवर्ती क्षेत्र पर 26 सेमी x 8 सेमी के क्षेत्र में एकाधिक संलयन।

(29) मध्य बाएं पैर के सामने मांसपेशियों में 7 सेमी x 2 सेमी गहरा कटा हुआ घाव।"

14. अपने बयान में, पीडब्लू-3 ने कहा कि उसने पाया कि खोपड़ी के दोनों किनारे टूट गए थे, मस्तिष्क में रक्त जमा हो गया था, बाईं ओर की 6 ठी, 7 वीं और 8 वीं पसली टूट गई थी और फेफड़ा फट गया था। उन्होंने यह भी कहा कि भेदन चोटें भाले जैसे छेदने वाले उपकरण से कारित थीं;

कटे हुए घाव गड़ासा जैसे हथियार के कारण हुए थे और कटे हुए घाव और चोट लाठी जैसे कुंद हथियार के कारण हुए थे। पीडब्लू-3 की राय में डी-2 की मौत का कारण उपरोक्त चोटें थीं।

15. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ-साथ पीडब्लू-3 और पीडब्लू-5 के साक्ष्यों से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि डी-1 और डी-2 की मौत मानव वध थी।

16. पीडब्लू-1, डी-1 का बेटा है और पीडब्लू-2 उसका भतीजा है। इस प्रकार, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2, डी-1 और डी-2 से निकटता से संबंधित हैं। करीबी रिश्तेदार का साक्ष्य होने के नाते, झूठे निहितार्थ को खारिज करने के लिए उनके साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता है।

17. पीडब्लू-1 ने बताया कि घटना की दिनांक को सुबह वह अपनी दूसरी जमीन देखने गया था। जब वह नरसिंग डीहा पहुंचा तो उसने अपने पिता (डी-1) और डी-2 का शोर सुना कि आरोपी उन्हें पीट रहे हैं। उसने लगभग 60-70 कदम की दूरी से शोर सुना। वह उस स्थान की ओर दौड़ा जहां से आवाज आ रही थी और उसने लगभग 15-20 कदम की दूरी से देखा कि आरोपी व्यक्ति उसके पिता और डी-2 पर हमला कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ए-1 और

ए-5 'बल्लम' से लैस थे, ए-3 और ए-7 'गड़ासा' से लैस थे और ए-2, ए-4 और ए-6 'लाठी' से लैस थे। जब आरोपी व्यक्तियों ने उसे और

पीडब्लू-2 को देखा, तो वे भाग गए। वह अपने पिता के पास गया और उन्हें मृत पाया। डी-2 भी मर चुका था. उनसे काफी देर तक जिरह की गई है और कुछ मामूली विरोधाभासों को छोड़कर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी गवाही को अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त हो। केवल इसलिए कि उसने डी-1 और डी-2 को हमले से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, यह नहीं कहा जा सकता कि वह मौजूद नहीं था। घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर उसकी मौजूदगी बिल्कुल भी अप्राकृतिक नहीं लगती.

18. जहां तक पीडब्लू-2 का सवाल है, उसने घटना की तारीख को सुबह लगभग 8.00 बजे गवाही दी थी। वह अपनी जमीन और छादन चौकीदार की जमीन के बीच की सीमा पर घास काट रहा था। उन्होंने देखा कि ए-1 से ए-7 तक संबंधित भूमि से अरहर की फसल काट रहे थे। जब वे पश्चिम की ओर से लगभग आधी फसल काट चुके थे, तब डी-1 और डी-2 आए और आरोपियों से पूछा कि वे फसल क्यों काट रहे हैं। आरोपियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने जमीन घीसी से खरीदी है और उन्होंने बल्लम, गड़ासा और लाठियों से डी-1 और डी-2 पर हमला करना शुरू कर दिया। पीडब्लू-2 ने यह भी बताया कि ए-1 और ए-5 बल्लम से लैस थे, ए-3 और ए-7 गड़ासा से लैस थे और ए-2, ए-4 और ए-6 के हाथों में लाठियां थीं। डी-1 और डी-2 द्वारा अलार्म बजाने पर, वह और पीडब्लू-1 घटनास्थल की ओर भागे। आरोपी उन्हें देखकर भाग गए। डी-1 और डी-2 की मौके पर ही मौत हो गई। पीडब्लू-2 जिरह में बिल्कुल भी नहीं डगमगाया है। यह

सच है कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2, डी-1 और डी-2, गवाहों से संबंधित हैं लेकिन वे असली दोषियों को क्यों छोड़ना चाहेंगे? यह तर्कसंगत नहीं लगता कि उन्होंने वास्तविक हमलावरों को बख्श दिया होगा और आरोपी अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया होगा।

19. जब घातक हथियारों से लैस सात व्यक्तियों ने डी-1 और डी-2 पर हमला किया, तो पीडब्लू-1 या पीडब्लू-2 के लिए प्रत्येक आरोपी द्वारा विशिष्ट चोटों का बताना संभव नहीं होगा। अन्ना रेड्डी संबासिवा रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य को देखते समय, जो व्यक्तिगत रूप से अभियुक्तों को जिम्मेदार ठहराने वाली विशिष्ट चोटों या विशिष्ट प्रकट कृत्यों को बताने में विफल रहे, इस न्यायालय ने कहा :

> "किसी भी व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव हो सकता है कि वह प्रत्येक हमलावर द्वारा किए गए विभिन्न व्यक्तिगत कृत्यों को सूक्ष्मता से सटीकता के साथ बता सके? यदि उन्होंने ऐसा कहा होता, तो उनकी गवाही की अत्यधिक असंभव और अप्राकृतिक के रूप में आलोचना की गई होती। यदि चश्मदीद गवाह घटना का ग्राफिक विवरण देते हैं तो उन्हें सिखाया जाने की आलोचना की जाती है और यदि वे सटीकता के साथ बोलने में विफल रहते हैं तो उनके साक्ष्य

को अनिर्दिष्ट, अस्पष्ट और सामान्य माना जाएगा। सुनहरा सिद्धांत ऐसी गवाही को सुनहरे तराजू में तौलना नहीं है बल्कि इसे उन ठोस मानकों से देखना है, जो इसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वासन देते हैं।"

20. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्यों पर ध्यान से विचार करने के बाद हमारा मानना है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

21. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट भी आरोपी व्यक्तियों द्वारा स्थापित निजी बचाव के अधिकार पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करने में विफल रहा। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि डी-1 और डी-2 द्वारा घीसी से कृषि भूमि की कथित खरीद से पहले, आरोपी व्यक्तियों ने उस जमीन को घीसी से पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा खरीदा था और आरोपी के पक्ष में नामान्तरण भी किया गया था। विद्वान वकील के तर्कों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच विवादित भूमि के संबंध में सिविल मुकदमे में धारा 145 द.प्र.सं. की कार्यवाही में आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में निषेधाज्ञा आदेश लागू था। इसके अलावा ए-1 और ए-2 का भी प्रथम दृष्टया कब्जा पाया गया है। इस प्रकार, विद्वान वकील के तर्कों के अनुसार आरोपी व्यक्तियों को फसल काटने का अधिकार था और जब मृतक ने कटी हुई फसल को छीनने की कोशिश की,

तो यह घटना संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग में हुई और आरोपी व्यक्तियों को धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

22. राजिंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में, इस न्यायालय ने आईपीसी की धारा 96 से 106 में दिए गए निजी बचाव के अधिकार का निर्वचन करते हुए इस प्रकार कहा:

> "19. उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के बाद अब हमें यह पता लगाना है कि क्या विवादित भूमि में शिकायतकर्ता पक्ष का अनधिकृत प्रवेश, जो कि ट्रायल कोर्ट के अनुसार आरोपी पक्ष के कब्जे में था, कानूनी रूप से बाद वाले को अपने निजी अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देता है। यदि हां, तो किस हद तक। आईपीसी की धारा 96 से 106 तक व्यक्ति और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित संपूर्ण कानून को संहिताबद्ध करती है, जिसमें इस तरह के अधिकार के प्रयोग की सीमा भी शामिल है। धारा 96 के अनुसार वह कृत्य अपराध नहीं है, जो निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया जाता है और धारा 97 ऐसे प्रयोग के क्षेत्र को परिभाषित करती है, इस प्रकार है:

"97. प्रत्येक व्यक्ति को, धारा 99 में निहित प्रतिबंधों के अधीन, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के खिलाफ -

पहला - अपने शरीर, और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने का अधिकार है;

दूसरा.-- संपत्ति, चाहे वह स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की चल या अचल हो, किसी भी कार्य के विरुद्ध हो, जो चोरी, डकैती, रिष्टि या आपराधिक अतिचार की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अपराध है, जो कि है चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अतिक्रमण करने का प्रयास है।" (जोर दिया गया)

20. उपरोक्त धारा को पढ़ने पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निजी रक्षा का अधिकार, चाहे वह व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा करना हो, किसी अपराध के खिलाफ उपलब्ध है। इसके विपरीत कहें तो, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है जो अपराध नहीं है। मौजूदा मामले के तथ्यों में, आरोपी पक्ष, धारा 97 के मद्देनजर और निश्चित रूप से, धारा 99 की सीमा के अधीन, संपत्ति की निजी रक्षा के अपने अधिकार का उस स्थिति में प्रयोग करने का हकदार था, जब शिकायतकर्ता पक्ष की विवादित भूमि पर अनाधिकृत प्रविष्टि हो।

जो कि विवादित भूमि आईपीसी की धारा 441 के तहत परिभाषित "आपराधिक अतिक्रमण" है। उक्त अनुभाग इस प्रकार है:

"जो कोई अपराध करने के इरादे से या ऐसी संपत्ति के कब्जे वाले किसी भी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से किसी दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति में प्रवेश करता है या उस पर कब्जा करता है।

या ऐसी संपत्ति में कानूनी रूप से प्रवेश करने या उस पर कब्जा करने के बाद, ऐसे किसी भी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से या अपराध करने के इरादे से गैरकानूनी तरीके से वहां रहता है, इसे 'आपराधिक अतिचार' कहा जाता है।"

21. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि किसी अन्य के कब्जे वाली संपत्ति में या उस पर अनधिकृत प्रवेश या वैध प्रवेश के बाद अवैध रूप से वहां रहना आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आता है और केवल तभी, जब ऐसी प्रविष्टि अपराध करने या संपत्ति पर कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने की नीयत से हो। दूसरे शब्दों में, जब तक धारा 441 में निर्दिष्ट कोई भी इरादा साबित नहीं हो जाता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि आपराधिक अतिचार का कोई

अपराध किया गया है। इस तरह के इरादे को किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ज्ञात करना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता पक्ष ने "आपराधिक अतिचार" का अपराध किया है क्योंकि उन्होंने अनधिकृत रूप से विवादित भूमि में प्रवेश किया था, जो आरोपी पक्ष के कब्जे में थी। केवल बाद वाले को वापस लेने के लिए मनाने के लिए उसके बाद और कोई अपराध करने या उनका अपमान करने, डराने या परेशान करने के इरादे से नहीं। वास्तव में ऐसे किसी इरादे का अनुमान लगाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री नहीं है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि आरोपी पक्ष के पास संपत्ति की निजी सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं था जिससे वे जानलेवा हमला करने का हकदार हो सकें। इसके विपरीत, इस तरह के जानलेवा हमले ने न केवल शिकायतकर्ता पक्ष को आत्मरक्षा में जवाबी हमला करने का अधिकार दिया, बल्कि आरोपी को व्यक्ति की निजी रक्षा के अधिकार का दावा करने का भी अधिकार नहीं दिया।

22. यह भी उल्लेखनीय है कि भले ही हमने पाया हो कि शिकायतकर्ता पक्ष ने भूमि में आपराधिक अतिचार किया हो, जिससे अभियुक्तगण को निजी बचाव के अधिकार का उपयोग करना पड़ा हो, फिर भी धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत दोषसिद्धि को विचलित करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। धारा 104 आईपीसी स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि "आपराधिक अतिचार" के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार

मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता है और धारा 300 आईपीसी के अपवाद 2 को यहां लागू करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि आरोपी पक्ष द्वारा हमला पूर्व नियोजित था तथा निजी बचाव के उद्देश्य से आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाना भी प्रकट होता है, जो कि तीनों मृतकों को लगी चोटों, जो कि गंभीरता और संख्या दोनों में चारों आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त चोटों की तुलना में अधिक हैं। हालाँकि, उस मामले में हमने खुद को केवल छोटे-मोटे अपराधों के लिए दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए मना लिया होगा, लेकिन यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह अपीलकर्ताओं के लिए सांत्वना मात्र होगी।

23. ए.सी. गंगाधर बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने कहा:

> "दोनों अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि आरोपी और उसके साथी हमलावर थे और उन्होंने मृतक और उसके बच्चों पर हमला शुरू कर दिया था और वह भी इसलिए क्योंकि उन्होंने आरोपी द्वारा पेड़ काटने का विरोध किया था। इसलिए, अपीलकर्ता को निजी बचाव का अधिकार देने की गुंजाइश नहीं थी।"

24. यह सुस्थापित है कि निजी बचाव की दलील स्थापित करना अभियुक्त का काम है। आत्मरक्षा की दलील को आरोपी द्वारा संदेह से परे

साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय को ऐसी याचिका में संभावनाओं की जांच करने की आवश्यकता है। फिर भी आरोपी को अपने द्वारा स्थापित बचाव की संभावना बनानी होगी। वर्तमान मामले में, अभियुक्त निजी बचाव के अधिकार को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है। वास्तव में, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति हमलावर थे। डी-1 और डी-2 तब निहत्थे थे जब उन्होंने आरोपी व्यक्तियों से पूछा कि उन्होंने खड़ी फसल क्यों काटी है। यह मानते हुए कि अभियुक्तों ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा घीसे से कृषि भूमि खरीदी थी और उनका कब्जा था, लेकिन डी-1 और डी-2 पर बल्लम, गड़ासा और लाठी जैसे घातक हथियारों से हमला करने का उनके पास कोई उचित कारण नहीं था, भले ही डी-1 और डी-2 ने उनसे फसल कटाई के बारे में पूछताछ की. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निजी बचाव के किसी भी अधिकार की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि डी-1 और डी-2 ने न तो आरोपी को व्यक्तिगत रूप से और न ही उसकी संपत्ति को खतरे में डाला है।

25. हमारे विचार में यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय व विचारण न्यायालय ने निजी बचाव की याचिका को स्वीकार न करके कोई त्रुटि की है।

26. जिन घातक हथियारों से अपीलकर्ता लैस थे और डी-1 तथा डी-2 पर बड़ी संख्या में चोटें पहुंचाई गईं, उनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है

कि अपीलकर्ताओं ने हत्या करने का सामान्य उद्देश्य साझा किया था। यह बात पूरी तरह से स्थापित है कि आरोपी व्यक्ति पांच से अधिक थे और उन्होंने गैरकानूनी जमाव बनाया था। डी-1 और डी-2 की मौके पर ही मौत हो गई। आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत आरोपी की सजा किसी भी कानूनी दोष से ग्रस्त नहीं है।

27. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

याचिकाएं खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नुसरत बानो (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।